

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 2/अवि./सेल-डी.पी.सी/2013/

भोपाल, दिनांक / / 2013

:: आदेश ::

संचालनालय स्तर पर दिनांक 24.07.2013 को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंशा पर निम्नलिखित नॉन मेडिकल असिस्टेंट को नॉन मेडिकल सुपरवाइजर (कुष्ठ) के पद पर वेतनमान रुपये 5200-20200 +ग्रेड पे 2800 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन अस्थाई तौर से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना स्थान
1	श्री सुभाष शर्मा (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम के अधीन
2	श्री एम.एल. दिवाकर (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी के अधीन
3	श्री के.एल. पालीवाल (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन के अधीन
4	श्री श्याम बाबू चौहान (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार के अधीन
5	श्री टी.सी. भावसार (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मन्दसौर के अधीन
6	श्री एस.आर. स्वर्णकार (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार के अधीन
7	श्री ए.के. जैन (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झाबुआ
8	श्री आर.एस. शर्मा (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी के अधीन
9	श्री सत्यप्रकाश दोहरे (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अशोकनगर के अधीन
10	श्री बी.आर. गवहाडे (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुरहानपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुरहानपुर के अधीन
11	श्री आर.एस. नरवरिया (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड के अधीन
12	श्री डी.आर. साहू (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर के अधीन
13	श्री एस.एल. प्रजापति (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मण्डला	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मण्डला के अधीन
14	श्री जी.आर. बाजपेई (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह के अधीन
15	श्री के.पी. वर्मा (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा के अधीन
16	श्री यशपाल पाठक (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झाबुआ के अधीन
17	श्रीमती मंगला महाजन (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन के अधीन



41	श्री भागीरथ प्रशाद जाटव (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्योपुर के अधीन
42	श्री सुमत कुमार जेन (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड के अधीन
43	श्री आर.के. रैदास (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया के अधीन
44	श्री रमेश कुमार शर्मा (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी के अधीन
45	श्री क्यू.ए. अन्सारी (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर के अधीन
46	श्री जे.पी. चर्मकार (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल के अधीन
47	श्री सी.एल. श्रीवास्तव (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कटनी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कटनी के अधीन
48	श्री बी.पी. रघुवंशी (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मण्डला	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट के अधीन
49	श्री के.सी. चौहान (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार के अधीन
50	श्री एफ.एल. यादव (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डिण्डोरी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाडा के अधीन
51	श्री आर.जी. माथुर (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के अधीन
52	श्री आर.डी. सोलंकी (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर के अधीन
53	श्री राम सिंह गुर्जर (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड के अधीन
54	श्री बी.एल. सक्सेना (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना के अधीन
55	श्री नरेन्द्र नाथ शर्मा (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी के अधीन
56	श्री पी.सी. पलवार (अनुसूचित जन जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार के अधीन
57	श्री कोशल प्रशाद कोल (अनुसूचित जन जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरोली के अधीन
58	श्री हीरा लाल बुन्देल (अनुसूचित जन जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार के अधीन
59	श्री अशोक चतुर्वेदी (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना के अधीन
60	श्री एस.आर. चौहान (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुरहानपुर के अधीन

1. पदोन्नत कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित है अथवा निलंबित है, तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजे।
2. पदोन्नति पद एवं स्थान पर आदेश प्राप्ति के उपरांत 15 दिवस की अवधि में पदोन्नत कर्मचारी को अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. संबंधित कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने/कर्तव्य पर उपस्थित होने की सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संचालनालय को 07 दिवस में आवश्यक रूप से भेजना होगा।

4. पदोन्नत कर्मचारियों के समस्त मूल अभिलेखों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कराई जाने की पूर्णरूपेण जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी। सभी प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जाना आवश्यक होगा। यदि कर्मचारी संबंधित संवर्ग के अधीन न आता हो अथवा प्रमाणपत्र संदिग्ध लगता है तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को विशेष डाक द्वारा भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।
5. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति)नियम 2002 के तहत निर्धारित अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षण संबंधी निर्देशों का पालन किया गया है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

हरी/—
(शैलबाला मार्टिन)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28/9/2013

पृ.क्रमांक 2/अवि./सेल--डी.पी.सी/2013/ 841-I
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
3. अध्यक्ष, विभागीय पदोन्नति समिति, स्थानीय कार्यालय।
4. संयुक्त संचालक /उप संचालक (कुष्ठ) स्थानीय कार्यालय।
5. संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
6. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
7. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. समस्त, जिला कुष्ठ अधिकारी मध्यप्रदेश।
9. समस्त, जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित कर्मचारी, उपरोक्तानुसार की और पालनार्थ।

28/9/13

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश